रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2010/चैत्र 8, 1932
No. 137] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2010/CHAITRA 8, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सा.का.नि. 217(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में यथा प्रवृत्त पंजाब पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 की पंजाब अधिनियम सं. 10) को निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ में लागू करती है, अर्थात् :—

आशोधन

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में यथा लागू पंजाब पुलिस अधिनियम में,—

(1) नीचे अन्यथा स्पष्ट रूप से की गई व्यवस्था के सिवाय,—

(क) जहां कहीं भी "राज्य" और "पंजाब" शब्द आएं, वहां उनके स्थान पर "संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएंगे ;

(ख) जहां कहीं भी "राज्य सरकार", "सरकार" और "पंजाब राज्य सरकार" शब्द आए हों, वहां उनके स्थान पर "प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) जहां कहीं भी "पुलिस महानिदेशक" शब्द आए हों, वहां उनके स्थान पर "चंडीगढ़ पुलिस के प्रमुख के रूप में किसी पदनाम के साथ केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(2) धारा 2 में,—

(क) खंड (क) को खंड (क 1) के रूप में पुन:क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:क्रमांकित किए गए खंड से पूर्व निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "प्रशासक" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के प्रशासक से है'

(ख) खंड (ग) और (घ) को हटाया जाएगा ;

(ग) खंड (ट) में "पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 और पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976" शब्दों और अंकों के स्थान पर "पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ तक विस्तार) अधिनियम, 1994" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) खंड (द) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(द) "पुलिस अधिकारी" से तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की पुलिस सेवा के किसी सदस्य से है तथा इसमें अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग को आबंटित तथा इस संवर्ग के चंडीगढ़ घटक में नियुक्त भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी अथवा अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के चंडीगढ़ घटक में प्रतिनियुक्त भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी शामिल होगा ;'

(ङ) खंड (घ) में "दो अथवा इससे अधिक पुलिस रेंजों" शब्दों के स्थान पर "दो अथवा इससे अधिक पुलिस जिले" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(च) खंड (ख ख) और (ग ग) को हटाया जाएगा।

(3) धारा 4 में,–

(क) खंड (ख) में "जाएगा" शब्द के स्थान पर "जाए" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ख) खंड (घ) में "राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड अथवा जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "पुलिस भर्ती बोर्ड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(4) धारा 5 में,–

(क) उप-धारा (1) और (2) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्र सरकार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-धारा (2) में "पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक, उप अथवा सहायक पुलिस महानिरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "इस प्रकार के विभिन्न रैंकों के अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उप-धारा (3) में "अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक अथवा उप पुलिस महानिरीक्षक अथवा सहायक पुलिस महानिरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "उप-धारा (2) में उल्लिखित अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(5) धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"6. (1) केन्द्र सरकार अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में से, चंडीगढ़ पुलिस के प्रमुख के रूप में उपयुक्त समझे गए पदनाम के साथ कोई अधिकारी नियुक्त करेगी :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग में प्रतिनियुक्त भारतीय पुलिस सेवा के किसी अधिकारी को चंडीगढ़ पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकती है ।

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत इस प्रकार से नियुक्त किसी अधिकारी का कार्यकाल दो वर्ष से कम नहीं होगा बशर्ते कि वह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त न करे :

परन्तु यह कि केन्द्र सरकार उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिकारी को उसके दो वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व स्थानान्तरित कर सकती है, यदि वह—

(क) किसी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी अथवा अन्य प्रकार से अशक्त हो गया हो जिससे कि चंडीगढ़ पुलिस के प्रमुख के रूप में अपने कार्यों के निर्वहन करने में वह असमर्थ हो गया हो; अथवा

(ख) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के अंतर्गत किसी उच्चतर पद पर प्रोन्नत हो गया हो :

परन्तु यह भी कि उसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार यदि चाहे तो विशेष कारणों, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे, से दो वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उन्हें स्थानान्तरित कर सकती है।"

(6) धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"7. प्रशासक, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से विधिक और वित्तीय मामलों पर पुलिस अधिकारियों की सहायता करने एवं सलाह देने के लिए यथानिर्धारित संख्या में विधिक अधिकारी और वित्तीय अधिकारी उपलब्ध कराएगा।";

(7) धारा 8 को हटाया जाएगा ।

(8) धारा 13 में,–

(क) उप-धारा (2) में "पुलिस उप-निरीक्षक अथवा" शब्दों को हटाया जाएगा ;

(ख) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"(3) प्रशासक जिन पुलिस थानों में आवश्क समझते हों अपराध अन्वेषण एककों की स्थापना कर सकता है।";

(9) धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"15. एक जोन में पुलिस महानिरीक्षक पद पर तैनात अधिकारी, एक रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक, एक सब-डिवीजन के सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक और एक जिले के एक पुलिस थाने के स्टेशन हाउस अधिकारी का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्षों का होगा :

परन्तु यह कि सक्षम प्राधिकारी दो वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अधिकारी को स्थानान्तरित कर सकता है, यदि वह—

(क) उच्चतर पद पर प्रोन्नत हो गया हो ; अथवा

(ख) शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी अथवा अन्य प्रकार से अशक्त हो गया हो जिससे कि वह अपनी ड्यूटियों और कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो गया हो :

परंतु यह भी कि इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो विशेष कारणों, जो लिखित रूप में रिकार्ड किए जाएंगे, से दो वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अधिकारी को स्थानांतरित कर सकता है।

(10) धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"17. प्रशासक अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले रेलवे लाइन क्षेत्र और अन्य रेलवे क्षेत्र से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में अपराध को रोकने, पता लगाने और उसकी जांच करने तथा उसमें कानून एवं व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा संघ राज्य क्षेत्र में उनके द्वारा यथा-आवश्यक समझे गए रेलवे लाइनों तथा अन्य रेलवे क्षेत्रों के लिए एक रेलवे पुलिस थाना स्थापित कर सकता है और पुलिस व्यवस्था हेतु यथा-निर्धारित संख्या में पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।"

(11) धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"20. प्रशासक, केन्द्र सरकार के परामर्श से पुलिस कार्मिकों के सभी रैंकों और श्रेणियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के प्रयोजन से नीति तैयार करेगा।"

(12) धारा 25 में "जाएगा" शब्द के स्थान पर "जाए" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(13) धारा 27 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"27. (1) केन्द्र सरकार यथानिर्धारित संघटन और कार्यों के साथ संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए एक सुरक्षा आयोग स्थापित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) में निहित किसी बात के विपरीत कोई बात होने के बावजूद, केन्द्र सरकार यथानिर्धारित संघटन और कार्यों के साथ सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक सामान्य सुरक्षा आयोग का गठन कर सकती है।"

(14) धारा 28 को हटाया जाएगा;

(15) धारा 29 में,—

(क) उप-धारा (1) में, खण्ड (क) में, "राज्य पुलिस बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "सुरक्षा आयोग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-धारा (1) के खंड (ग) और (घ) को हटाया जाएगा;

(ग) उप-धारा (2) में, "और पुलिस आयुक्तों" शब्दों को हटाया जाएगा;

(16) धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"32. (1) प्रशासक एक पुलिस स्थापना समिति का गठन करेगा जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल होंगे, अर्थात् :—

(क) धारा (6) की उप-धारा (1) के अंतर्गत चंडीगढ़ पुलिस प्रमुख के पद पर नियुक्त अधिकारी	—अध्यक्ष
(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़	—सदस्य
(ग) दो अन्य अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के रैंक से कम न हों	—सदस्य

(2) पुलिस स्थापना समिति उप पुलिस अधीक्षक तथा उससे नीचे के रैंक के सभी पुलिस अधिकारियों की तैनाती और स्थानान्तरण से संबंधित मामलों पर निर्णय लेगी।"

(17) धारा 34 में, उप-धारा (1) में, परन्तुक में, "जारी होने की तारीख से अथवा विधानमंडल की पहली बैठक के छ: महीने की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, राज्य विधानमंडल" शब्दों के स्थान पर "जारी होने की तारीख से छ: महीने की अवधि के भीतर संसद का प्रत्येक सदन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(18) धारा 36 में, "संबंधित रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक" शब्दों के स्थान पर "ऐसा अधिकारी जिसे निर्धारित किया जाए" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(19) धारा 54 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"54. प्रशासक, केन्द्र सरकार के परामर्श से, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करेगा ।"

(20) धारा 72 को हटाया जाएगा;

(21) धारा 80 में,—

(क) उप-धारा (1) में "एक वर्ष", शब्दों के स्थान पर "छ: महीने", शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-धारा (2) में, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनाए जाने के तुरंत बाद, कुल तीस दिनों की अवधि, जिसमें एक सत्र अथवा दो अथवा इससे अधिक क्रमिक सत्र शामिल हो सकते हैं, के सत्र के दौरान संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और यदि, पूर्वोक्त सत्र अथवा क्रमिक सत्रों के तत्काल बाद सत्र की समाप्ति से पूर्व, दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हो जाते हैं अथवा दोनों सदनों की इस बात पर सहमति है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो इसके बाद नियम उसी संशोधित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो, अत:, तथापि ऐसा कोई संशोधन अथवा विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी बात की वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा ।"

(22) धारा 81 में, उप-धारा (2) में, "राज्य विधानमंडल" शब्दों के स्थान पर "संसद् का प्रत्येक सदन" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(23) धारा 84 में, उप-धारा (1) में, "राज्य सरकार" शब्दों के स्थान पर "केन्द्र सरकार अथवा प्रशासक" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(24) धारा 85 में, "लागू रहेगा" शब्दों के स्थान पर, "चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित, लागू रहेगा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 14011/26/06-यू.टी.पी. (भाग-ग)]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2010

G.S.R. 217(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Punjab Police Act, 2007 (Punjab Act No. 10 of 2008), as in force in the State of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

In the Punjab Police Act so extended to the Union Territory of Chandigarh,—

(1) save as otherwise expressly provided hereunder,—

(a) for the words "State" and "Punjab", wherever they occur, the words "Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;

(b) for the words "State Government", "Government" and the "Government of the State of Punjab", wherever they occur, the words "Administrator, Union Territory of Chandigarh" shall be substituted;

(c) for the words "Director General of Police", wherever they occur, the words "an officer appointed by the Central Government, with any designation, to head the Chandigarh Police" shall be substituted;

(2) in section 2,—

(a) clause (a) shall be renumbered as clause (a1) and before the clause so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

'(a) "Administrator" means the Administrator of the Union Territory of Chandigarh appointed by the President under Article 239 of the Constitution;'

(b) clauses (c) and (d) shall be omitted;

(c) in clause (k), for the words and figures, "Punjab Municipal Act, 1911 and the Punjab Municipal Corporation Act, 1976", the words and figures, "Punjab Municipal Corporation Law (Extension to Chandigarh) Act, 1994" shall be substituted;

(d) for clause (r), the following clause shall be substituted, namely :—

'(r) "police officer" means any member of the Police Service of the Union Territory of Chandigarh constituted under this Act and shall include an Indian Police Service Officer allocated to the Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre and posted in Chandigarh constituent of the cadre or an Indian Police Service Officer deputed to the Chandigarh constituent of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories cadre;'

(e) in clause (s), for the words "two or more police ranges", the words "two or more Police districts" shall be substituted;

(f) clauses (bb) and (cc) shall be omitted;

(3) in section 4,—

(a) in clause (b), for the word "shall", the word "may" shall be substituted;

(b) in clause (d), for the words "State Level Police Recruitment Board or District Level Police Recruitment Board", the words "Police Recruitment Board" shall be substituted;

(4) in section 5,—

(a) in sub-sections (1) and (2), for the words "State Government", the words "Central Government" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), for the words "Directors General of Police, Additional Directors General of Police and as many Inspectors General, Deputy or Assistant Inspectors General of Police", the words "officers of such different ranks" shall be substituted;

(c) In sub-section (3), for the words "an Additional Director General or an Inspector General or a Deputy Inspector General or an Assistant Inspector General of Police", the words "officers referred to in sub-section (2)" shall be substituted;

(5) for section 6, the following section shall be substituted, namely :—

"6. (1) The Central Government shall appoint an officer from amongst Indian Police Service Officers borne on the Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, with such designation as considered appropriate, to head the Chandigarh Police :

Provided that under exceptional circumstances, the Central Government may appoint an officer from Indian Police Service deputed to the Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to head the Chandigarh Police.

(2) The officer so appointed under sub-section (1) shall have a tenure of not less than two years unless he attains the age of superannuation:

Provided that the Central Government may transfer the officer appointed under sub-section (1) before completion of two years of his tenure, if he is—

(a) incapacitated by physical or mental illness or otherwise becoming unable to discharge his functions as the head of the Chandigarh Police; or

(b) promoted to a higher post either under the State Government or under the Central Government :

Provided further that the Central Government may, for special reasons, to be recorded in writing, also transfer him before the completion of two years' tenure."

(6) for section 7, the following section shall be substituted, namely :—

"7. The Administrator may, with the previous approval of the Central Government, provide such number of Legal Officers and Finance Officers as may be prescribed, to aid and advise police officers on legal and financial matters.";

(7) section 8 shall be omitted;

(8) in section 13,—

(a) in sub-section (2), the words "Sub-Inspector of Police or" shall be omitted;

(b) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(3) The Administrator may create Crime Investigation Units in such Police Stations, as he may deem necessary";

(9) for section 15, the following section shall be substituted, namely :—

"15. The officer posted as Inspector General of Police of a Zone, Deputy Inspector General of Police of a range, Senior Superintendent of Police and Superintendent of Police in a Police District, Assistant Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police in a Sub-division and Station House Officer in a Police Station in a District, shall have a minimum tenure of two years :

Provided that the competent authority may transfer the officer before the completion of two years of tenure if he is—

(a) promoted to a higher post; or

(b) incapacitated by physical or mental illness or otherwise becoming unable to discharge his duties and functions :

Provided further that the competent authority may, for special reasons, to be recorded in writing, also transfer an officer before the completion of two years of tenure."

(10) for section 17, the following section shall be substituted, namely :—

"17. With a view to prevent, detect and investigate crime and for enforcement of law and maintenance of order in trains passing through the railway lines area and other railway area, falling in his jurisdiction, the Administrator may, by notification in the Official Gazette, create a Railway Police Station consisting of such railway lines and other railway area in the Union Territory, as he may deem necessary; and appoint for policing such police officers, as may be prescribed."

(11) for section 20, the following section shall be substituted, namely :—

"20. The Administrator shall, in consultation with the Central Government, lay down a Policy for the purpose of education and training of all ranks and categories of police personnel."

(12) in section 25, for the word "shall", the word "may" shall be substituted;

(13) for section 27, the following section shall be substituted, namely :—

"27. (1) The Central Government may establish a Security Commission for the Union Territory of Chandigarh with such composition and functions as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1), the Central Government may constitute a Common Security Commission for all Union Territories with composition and functions as may be prescribed."

(14) section 28 shall be omitted;

(15) in section 29,—

(a) in sub-section (1), in clause (a), for the words "State Police Board", the words "Security Commission" shall be substituted;

(b) clauses (c) and (d) of sub-section (1) shall be omitted;

(c) in sub-section (2), the words "and the Commissioners of Police" shall be omitted;

(16) for section 32, the following section shall be substituted, namely :—

"32. (1) The Administrator shall constitute a Police Establishment Committee which shall consist of the following officers, namely:—

(a) officer appointed to head Chandigarh Police under sub-section (1) of section 6	— Chairperson
(b) Senior Superintendent of Police, Chandigarh	— Member
(c) two other officers not below the rank of Superintendent of Police	—Member

(2) The Police Establishment Committee shall decide the matters with regard to postings and transfers of all police officers of the rank of Deputy Superintendent of Police and below."

(17) in section 34, in sub-section (1), in the proviso, for the words "the State Legislature within a period of six months from the date of issue or the first sitting of the Legislature, whichever is earlier", the words "each House of Parliament within a period of six months from the date of issue" shall be substituted;

(18) in section 36, for the words "the Deputy Inspector General of Police of the range concerned", the words "such officer as may be prescribed" shall be substituted;

1131 GI/10—2

(19) for section 54, the following section shall be substituted, namely :—

"54. The Administrator may, in consultation with the Central Government, by notification in the Official Gazette, constitute a Police Complaints Authority."

(20) section 72 shall be omitted;

(21) in section 80,—

(a) in sub-section (1), for the words, "one year", the words "six months" shall be substituted;

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule."

(22) in section 81, in sub-section (2), for the words "State Legislature", the words "each House of Parliament" shall be substituted;

(23) in section 84, in sub-section (1), for the words "State Government", the words "Central Government or the Administrator" shall be substituted;

(24) in section 85, for the words "shall remain in force", the words "as extended to the Union Territory of Chandigarh, shall remain in force" shall be substituted.

[F. No. 14011/26/06-UTP (Part C)]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.